

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

Date: 26/8/10
KOT 1010

क्रमांक: एफ 18(5)त.शि./2004

जयपुर, दिनांक : 20 अगस्त, 2010

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ईस्लामिक एकेडमी ऑफ एज्युकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय दिनांक 14.8.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सत्र 2010-11 के लिए अन्तरिम शुल्क संरचना इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिए अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाले शुल्क संरचना यदि अधिक होती है तो संबंधित छात्र द्वारा शेष राशि प्रवेश पाने वाले संस्थान में जमा कराई जायेगी तथा शुल्क राशि में कमी होने की दशा में संबंधित संस्थान द्वारा शेष आधिक्य राशि छात्र/छात्राओं को वापस लौटाई जायेगी।

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना इस आदेश के साथ संलग्न शर्तों के अन्तर्गत है। (परिशिष्ट-A)

नोट :- राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना वार्षिक है तथा संस्थानों द्वारा परिशिष्ट-A पर उल्लेखित शर्त संख्या 2 के तहत शुल्क की वसूली छात्रों से सेग्रेगरेटवार की जायेगी जो कि निर्धारित शुल्क का 50% होगा लेकिन कॉशनमनी प्रवेश के समय एकमुश्त वसूल की जायेगी।

सत्र 2009-10 में पूर्व प्रवेशित तथा सत्र 2010-11 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार वार्षिक अन्तरिम शुल्क संरचना निर्धारित किया जाता है :-

सारिणी- I

S.No.	Course	Tuition Fees	Development Fees	Total Fees	Caution Money
1	M.E./M.Arch	40,000	10,000	50,000	5,000
2	B.Arch	40,000	10,000	50,000	5,000
3	B.E./B.Tech./BHMCT	40,000	10,000	50,000	5,000
4	MBA, PGDBM	32,000	10,000	42,000	5,000
5	MCA	32,000	10,000	42,000	5,000
6	M. Pharma	40,000	10,000	50,000	5,000
7	B. Pharma	32,000	10,000	42,000	5,000
8	D. Pharma	20,000	10,000	30,000	5,000
9	Diploma Engineering	12,000	8,000	20,000	5,000
10	Diploma BHMCT	15,000	10,000	25,000	5,000

उपरोक्त शुल्क संरचना वर्ष 2009-10 में स्थापित तथा वर्ष 2010-11 में नवस्थापित तकनीकी शिक्षण संस्थानों / नये स्वीकृत पाठ्यक्रमों पर भी लागू होगी।